13

अधिकार

पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है और इसका दुनिया के अलग–अलग देशों में कैसे विस्तार हुआ है? अधिकारों की अवधारणा भी कुछ शताब्दियों से उभर रही है और लोकतंत्र में बदलाव ला रही है।

इस अध्याय में हम वास्तविक जीवन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से बात प्रारंभ करते हैं जिनसे यह पता लग सके कि अधिकारों के बिना लोगों का जीवन कितना कठिन होता था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकारों का क्या आशय है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों है और लोकतंत्र का विस्तार करने में अधिकार क्या भूमिका निभा सकते हैं?

अधिकारों के बिना जीवन–दास व्यापार

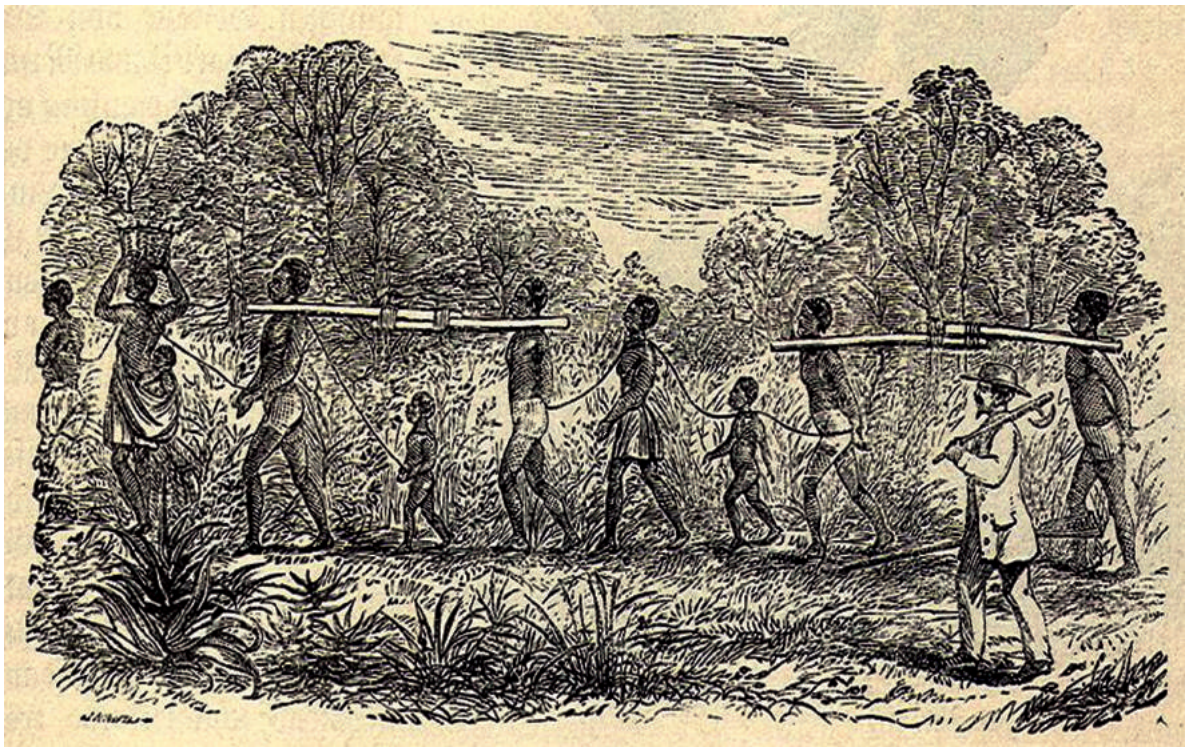

चित्र 13.1 : यह दृश्य क्या कह रहा है?

हमने इतिहास के अध्यायों में सन् 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी सफलता मनुष्य के अधिकारों की अवधारणा को उभारना है। इसी फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में अफ्रीकी और एशियाई देशों के लोगों को दास बनाकर काम करवाने की प्रथा प्रचलित थी।

दास व्यापार 17वीं सदी में एशियाई और अफ्रीकी देशों में जोरों से चल रहा था। इसमें प्रमुख रूप से स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश शामिल थे। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बन्दरगाहों से अफ्रीका तट

पर जहाज ले जाते थे जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियाँ डाल कर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक तीन महीने लंबी समुद्री यात्रा हेतु ज़हाजों में ठूँस दिया जाता था। वहाँ उन्हें अमेरिका के बागान मालिक खरीद लेते थे। इस लंबी यात्रा के दौरान दासों को तरह–तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता था। उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था और कई दास बीमार पड़ जाते थे। व्यापारी उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। दास श्रम के आधार पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना मुमकिन हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बन्दरगाह दास–व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए।

फ्रांस की नेशनल असेंबली में लंबी बहस चली कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा समेत समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएँ या नहीं। लेकिन दास–व्यापार पर निर्भर व्यापारियों की खिलाफत के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अंततः सन् 1794 के सम्मेलन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यह कानून कुछ समय तक ही लागू रहा। दस वर्ष बाद नेपोलियन ने दास–प्रथा फिर से शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने हेतु अफ्रीकी अश्वेत लोगों को दास बनाने की आजादी मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास–प्रथा का उन्मूलन सन् 1848 में किया गया। अमेरिका में दास प्रथा को सन् 1865 में समाप्त किया गया किन्तु उन्हें नागरिकों के समान अधिकार बीसवीं शताब्दी तक नहीं मिल पाए।

दास प्रथा से लोगों के किस तरह के अधिकार प्रभावित होते थे?

अफ्रीका तट से लाए जाने वाले दासों की तुलना किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों की जीवन शैली से कीजिए।

अफ्रीकी तथा यूरोपीय देश व्यापार के लिए एक–दूसरे पर किन–किन चीजों के लिए निर्भर थे?

अमेरिका के संविधान में आजादी के तुरंत बाद ही अपने नागरिकों को कई अधिकार दिए गए, लेकिन महिलाओं और अश्वेतों को नागरिक अधिकार हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। श्वेत महिलाओं को मताधिकार सन् 1920 में दिया गया। अश्वेतों एवं अमेरिका के मूल निवासियों (रेड इंडियनों) की स्थिति तो बहुत ही खराब थी। उन्हें अमेरिका में सिर्फ अपने अश्वेत रंग व अलग नस्ल का होने की वजह से तरह–तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें बस, गाड़ी, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। वे लोग श्वेत अमेरिकी लोगों के साथ बराबरी से बात नहीं कर सकते थे। उन्हें खाने–पीने तथा मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर समान अवसर प्राप्त नहीं थे। सन् 1956 में अमेरिका की एक अश्वेत महिला नागरिक रोजा पार्क के साथ बस में सीट के लिए हुए भेदभाव की घटना ने अश्वेत नागरिकों में विरोध की एक बड़ी लहर पैदा की। अमेरिकी अश्वेतों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया जिसे नागरिक अधिकार (Civil Rights) आंदोलन के रुप में याद किया जाता है।

सार्वजनिक स्थान किन्हें कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

आंदोलन के तहत् अश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर धरने दिए तथा लगातार प्रदर्शन किए। उनके प्रदर्शनों तथा दबाव की वजह से सन् 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा।

इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया जो कि अपने समय के एक समाज सुधारक तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें लंबी पदयात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कार्यवाहियों से अश्वेतों के लिए सामान्य अधिकार हासिल करने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने 28 अगस्त सन् 1963 को वाशिंगटन डी.सी. में लिंकन स्मारक के नीचे लगभग दो लाख पचास हजार लोगों की भीड़ के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली एवं भावनात्मक भाषण दिया। इस भाषण को किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दिए

जाने वाले सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक माना जाता है। इस भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं–

चित्र 13.2 : मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण देते हुए

मैं आपके साथ इस अभियान में शामिल होते हुए गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ, जिसे इतिहास में एक महान ऐतिहासिक अभियान के रूप में याद किया जाएगा। लगभग 100 वर्ष पहले एक अमेरिकी जिसकी परछाई में हम खड़े हैं, ने अश्वेतों के मुक्ति की घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश से लाखों अश्वेत नागरिकों को आशा की किरण दिखाई दी थी कि हम भी सुखद और सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएँगे। यह महान आदेश हम अश्वेतों के लिए एक लंबी और अंधेरी रात के बाद चमचमाती सुबह के समान था। हमें लगा हम अन्याय की लपटों में झुलसने के बाद न्याय की ठंडक और चाँदनी को हासिल कर पाएँगे। लेकिन उस महान आदेश के 100 वर्ष बीतने के बाद भी अश्वेत आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन तरह–तरह के प्रतिबंधों के घावों की वजह से निःशक्त है। हम आज भी अलगाव का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। हमारा जीवन अभी भी भेदभावों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के मध्य गरीबी के एक बर्फीले द्वीप की तरह अकेला है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेत अमेरिकी समाज के एक अंधेरे कोने में दबे हुए हैं और हम अपने आप को अपने ही देश में निर्वासितों की तरह महसूस करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ अपनी शर्मनाक स्थितियों को नाटकीय अभिनय द्वारा सबके सामने पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

मेरा एक स्वप्न है– यह ऐसा स्वप्न है जो कि स्वतंत्र, समृद्ध और प्रगतिशील अमेरिका के स्वप्न से जुड़ा हुआ है। मेरा यह स्वप्न है, एक दिन यह देश अपने स्वार्थों से ऊपर उठेगा और अमेरिकी होने का वास्तविक अर्थ समझेगा। हम इस सत्य को जो कि स्वयं सिद्ध है, पूरी मजबूती के साथ स्वीकार करते हैं कि सभी लोगों को बराबरी से बनाया गया है तथा सभी लोग बराबर हैं।

मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन जार्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के पुत्र अपने श्वेत भाइयों के साथ भाईचारे के साथ मेज पर बैठेंगे। मेरा यह स्वप्न है कि पसीने तथा गर्मी से भरा हुआ मिसीसिपी राज्य एक दिन स्वतंत्रता तथा न्याय के सागर के रुप में परिवर्तित होगा।

मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरे चार छोटे बच्चों को उनके रंग या चमड़ी से नहीं बल्कि उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। मेरा यह स्वप्न है कि एक दिन अल्बामा में छोटे–छोटे अश्वेत लड़के–लड़कियाँ अपने जैसे श्वेत बच्चों से भाइयों और बहनों की तरह हाथ मिलाएँगे और मिलकर एक साथ खेलेंगे। यह ऐसा दिन होगा जिस दिन ईश्वर के सभी बच्चे आजादी के गीतों को नए अर्थों के साथ गाएँगे।

इस भाषण में अश्वेतों की किन–किन वेदनाओं का उल्लेख किया गया है?

इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्वप्नों का अमेरिका किस तरह का है? स्पष्ट करें।

अमेरिकी अश्वेतों द्वारा मताधिकार की प्राप्ति के लिए चलाए गए आन्दोलन में किन–किन तरीकों का प्रयोग किया गया?

लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत

अधिकारों की अवधारणा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। अन्य व्यवस्थाओं में भी अधिकारों की बात की जाती है, जैसे– काम करने का अधिकार हो या स्थानीय प्रशासन में शामिल होना हो लेकिन लोकतांत्रिक शासन में अधिकार और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि... सरकार बनाने और चलाने में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों के हित में काम करें एवं लोगों के प्रति जवाबदेह हों। यदि आम लोगों को व्यापक अधिकार न मिले हों तो केवल कुछ लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जा सकती है। जैसे– संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण में हमने देखा। अधिकार न हों, तो शासन द्वारा बनाई जाने वाली नीतियाँ और कानून एक तरफ हो जाती हैं। लोगों को इन पर विचार रखने व इन्हें बदलने के अवसर नहीं होते। यदि कहीं भी लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित न हों, तो शासन द्वारा नागरिकों पर अत्याचार व उनका दमन आसानी से किया जा सकता है।

चित्र 13.3 : संसद भवन

अधिकार सभी मनुष्यों के लिए जरुरी हैं। इसलिए लिंग, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, क्षेत्र, देश या अन्य किसी आधार पर अधिकारों को देने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है तो इसका अर्थ यह भी है कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।

स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, जैसे– संगीत, नृत्य, लेखन आदि में हम मौलिक रचनाएँ कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार हमें विकसित करने में मदद करता है। हमें जीवन में सूझ–बूझ के साथ चलने में सक्षम बनाता है, अर्थात् अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएँ या सुविधाएँ हैं जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके।

अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति को किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में अधिकार किस तरह से सहायक होते हैं?

अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया जाता है?

अधिकारों का संवैधानिक संदर्भ

अधिकारों के दावों की नैतिक तथा सामाजिक मान्यता चाहे जितनी हो उनकी सफलता कानून के समर्थन से ही है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को महत्व दिया जाता है। अधिकार अपने वर्तमान स्वरूप में जिस तरह समझे जाते हैं वह किसी एक देश या एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित स्थिति नहीं है और न ही इनका विकास एक दिन में हुआ है।

मानवीय आवश्यकताओं के विचार, समझ और विकास में बदलाव के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता रहा है तथा इनका दायरा भी बढ़ता गया है। अधिकार आमतौर पर उस स्थिति में ही अधिकारों का दर्जा हासिल करते हैं जब लोगों की आवश्यकताओं को कानूनी रूप से मान्यता दी जाए। जब तक किसी अधिकार को कानूनी रूप नहीं मिलता तब तक किसी भी अधिकार के लिए वास्तव में लोगों का राज्य के प्रति दावा नहीं बनता। उदाहरण के लिए, सन् 2002 में भारत की संसद ने संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी स्वीकृति दी। इसके बाद यह कानूनी रूप से नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्वीकार किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी देश या प्रांत के सभी समाज के लोग उसे स्वीकार कर सकें।

अधिकारों की कानूनी मान्यता ऐतिहासिक रूप से लगभग 800 वर्ष पुरानी है। सबसे पहले इंग्लैंड में वहाँ के राजा ने सन् 1215 में एक अधिकार–पत्र को कानूनी रूप से स्वीकार किया, जिसे मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

अधिकारों का घोषणा पत्र

अधिकारों के इस घोषणा पत्र में इग्लैंड के राजा ने वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिए। इनमें लोगों द्वारा सीमित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनना तथा अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार–व्यवसाय करना प्रमुख अधिकार थे।

इस पर चर्चा करें

अधिकारों को कानूनी मान्यता कैसे मिलती है?

शिक्षा के अधिकार के बिना हमारा जीवन कैसा था? चर्चा करें।

निम्नलिखित कथन अधिकार है या नहीं, स्पष्ट कीजिए–

(अ) राजा का आदेश

(ब) किसी समाज द्वारा तय नियम

(स) संसद द्वारा बनाया नियम

(द) संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की गई कोई सुविधा

सन् 1776 में इंग्लैंड से आजादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से स्वतंत्र देश के रुप में संगठित किया तथा अपना नया संविधान बनाया। इस संविधान में उन्होंने 'बिल ऑफ राइट्स' के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार आदि प्रमुख हैं।

सन् 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात् फ्रांस के लोगों ने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, सम्पत्ति, शोषण से रक्षा का अधिकार भी था। फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को कई अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किए। किसी भी देश के कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुख स्रोत उस देश का संविधान होता है। ऐसे देश अपने संविधान में अधिकारों को किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। यदि भारत की केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार इन अधिकारों को प्रदान न करें तो नागरिक सीधे राज्य के उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं।

भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का मुख्य स्रोत है तथा वे इन्हें वैधता भी प्रदान करते हैं जिसका अर्थ यह है कि संविधान में दिए गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? हमने कक्षा

आठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के नागरिक शास्त्र के खण्ड में इन मौलिक अधिकारों के विषय में पढ़ा है। इन पर हम एक–एक करके विचार करते हैं।

नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि ये कथन कौन से अधिकार से संबंधित हैं।

(1) प्रधानमंत्री हो या सुदूर गाँव का कोई कृषि मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। जन्म या पद के आधार पर व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। कुछ वर्ष पूर्व देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मामला चला था। सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, परंतु जब तक मामला चला उन्हें किसी दूसरे आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा। अपने पक्ष में साक्ष्य देने पड़े, कागजात प्रस्तुत करने पड़े।

यह हमारा कौन सा अधिकार है?

(2) अ. किस अधिकार के चलते लाखों लोग गाँवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब क्षेत्रों से निकलकर समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करते हैं और बस जाते हैं?

ब. किस अधिकार से आप अपने विचारों का परचा छपाकर या अखबारों व पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करवाकर भी व्यक्त कर सकते हैं?

(3) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खदान, बंदरगाह और रेलवे जैसे स्थानों पर कोई भी जोखिमपूर्ण काम नहीं करा सकते हैं। आज गाँव का मुखिया जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है।

ये हमारे कौन से अधिकार हैं?

(4) अ. क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी–देवताओं या किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है?

ब. क्या किसी विधवा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफेद कपड़े पहनने हेतु मजबूर कर सकते हैं?

उक्त कथन कौन से मौलिक अधिकार के गलत इस्तेमाल के अंतर्गत आता है?

(5) अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है?

अल्पसंख्यक – ये राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं हैं। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ पृथक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे, जैसे– आन्ध्र प्रदेश में तेलुगू भाषियों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति के आधार पर भी किसी समूह का अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना तय होता है।

यह संरक्षण संविधान के किस मौलिक अधिकार के द्वारा दिया जाता है?

(6) हमारे आस–पास एक कारखाना है जिसमें निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके का पीने का पानी गंदा हो रहा है। पानी में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं जैसे– डायरिया, पीलिया, खुजली आदि जिससे हमारे जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है।

इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम उच्च या उच्चतम न्यायालय में किस मौलिक अधिकार के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं?

अधिकारों को संरक्षण देने वाली संस्थाएँ

लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सिर्फ कानूनी प्रावधान कर देने से ही यह सुनिश्चित नहीं होता कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे हैं। अधिकार सही रूप में लागू करने के लिए यह जरुरी है कि कुछ ऐसी संस्थाएँ हों जो अधिकारों का संरक्षण करे। ऐसी संस्थाओं को लगातार यह देखना होता है कि अधिकार सही ढंग से लागू हो रहे

हैं या नहीं। ऐसी संस्थाएँ केन्द्रीय व राज्य दोनों स्तर पर होती हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग आदि। अब हम अधिकारों को संरक्षण देने वाली कुछ संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

न्यायालय (Court)

हम पिछली कक्षाओं में न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यह जानते हैं कि न्यायालय केवल न्याय नहीं करते बल्कि ये संविधान के संरक्षक भी हैं। यदि कोई सरकार या व्यक्ति हमारे किसी अन्य कानूनी अधिकारों का उल्लघंन करता है, तो हम उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अधिकारों के उल्लघंन के ऐसे मामले चाहे पर्यावरण, शिक्षा या हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में यह विशेष प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में मुकद्मा दायर कर सकता है। न्यायालय के अलावा कई अन्य संस्थाएँ व आयोग भी हमारे अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission)

10 दिसम्बर सन् 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। (इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है)। मानव अधिकारों में मान्यता है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस विचार का प्रयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न संरचनाएँ स्थापित की गई हैं जो अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाती हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं। इस घोषणा पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोकतंत्र के मुख्य बिन्दुओं, जैसे– स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा व्यक्तिगत गरिमा आदि को स्वीकार करते हुए कई अधिकार शामिल किए गए। इन अधिकारों को सही ढंग से लागू करवाने तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी देशों में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।

भारत में सन् 1993 में कानून द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। यह आयोग स्वयं किसी को दण्ड नहीं दे सकता। आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जाँच करता है। यह उन मामलों की भी जाँच करता है जहाँ ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। किसी न्यायालय की तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

समन
न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश।

आयोग किसी कारागार में जाकर जाँच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जाँच टीम भेज सकता है। मानवाधिकार आयोग में सामाजिक बहिष्कार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताड़ित करने संबंधी शिकायत, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, जेलों में होने वाले अत्याचार, बाल–श्रम, बंधुआ मजदूर, प्रदूषण, राजस्व, मानव देह–व्यापार आदि प्रकरण शामिल हैं।

पूरे देश के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इसमें राज्य की एक समिति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं। यह समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपने राज्य में होने वाले मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की कोशिश करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में 10 दिसम्बर सन् 2014 तक 1,121 प्रकरण दर्ज थे, जिसमें से 1,090 लोगों को न्याय मिला है और 730 मामलों पर अभी विवेचना की जा रही है। इस आयोग के कार्य का एक उदाहरण देखते हैं– केन्द्रीय जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिंह हर्निया की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन गार्ड उपलब्ध न होने की वजह से उसका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में शिकायत की। इस पर आयोग में संज्ञान लिया गया। इसके चलते जेल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा मनोज सिंह को रायपुर मेडिकल कालेज में भर्ती करा कर चिकित्सीय लाभ दिया गया।

जहाँ मानव अधिकार आयोग नहीं होता, वहाँ लोगों को कौन–कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्यों ?

क्या मानव अधिकार आयोग वास्तव में सभी लोगों के अधिकारों को संरक्षण दे पाता है?

निम्नलिखित मामले किन–किन मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, आपस में चर्चा कीजिए–

1) **भारत में सन् 1998–99 में पुलिस हिरासत में 183 तथा न्यायिक हिरासत में 1,114 लोगों की मौत हुई।**

2) **मेरठ जेल में करीब 3,000 कैदी रखे गये थे, जबकि उस जेल में कैदियों को रखने की क्षमता 650 व्यक्तियों की है।**

पता– छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, डी.के.एस. भवन के पास, रायपुर पिन न. 492001, 0771–2235594

सूचना का अधिकार आयोग (Right to Informmation Comission)

मालती भिलाई के पास एक बस्ती में रहती थी। वह कई महीनों से अपना राशन कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी। उसने चौथीं बार अपना फार्म भरवा के विकासखण्ड कार्यालय में जमा किया। कुछ दिन बाद जब वह विकासखण्ड कार्यालय में अपना राशन कार्ड लेने गई तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन– पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मालती ने अपने आवेदन की पावती दिखाई तो अधिकारी ने कहा उसे उनका आवेदन ढूंढना पड़ेगा। मालती उनके इस उत्तर से बहुत उदास और परेशान हुई। वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने पड़ोस में रहने वाला एक लड़का रमेश मिला। रमेश ने उसे परेशान देखकर पूछा क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों हो? मालती ने बताया वह चार बार राशन कार्ड के लिए फार्म भरकर आवेदन दे चुकी है, लेकिन विकासखण्ड कार्यालय में हर बार उसका आवेदन गुम हो जाता है। रमेश ने कहा आप

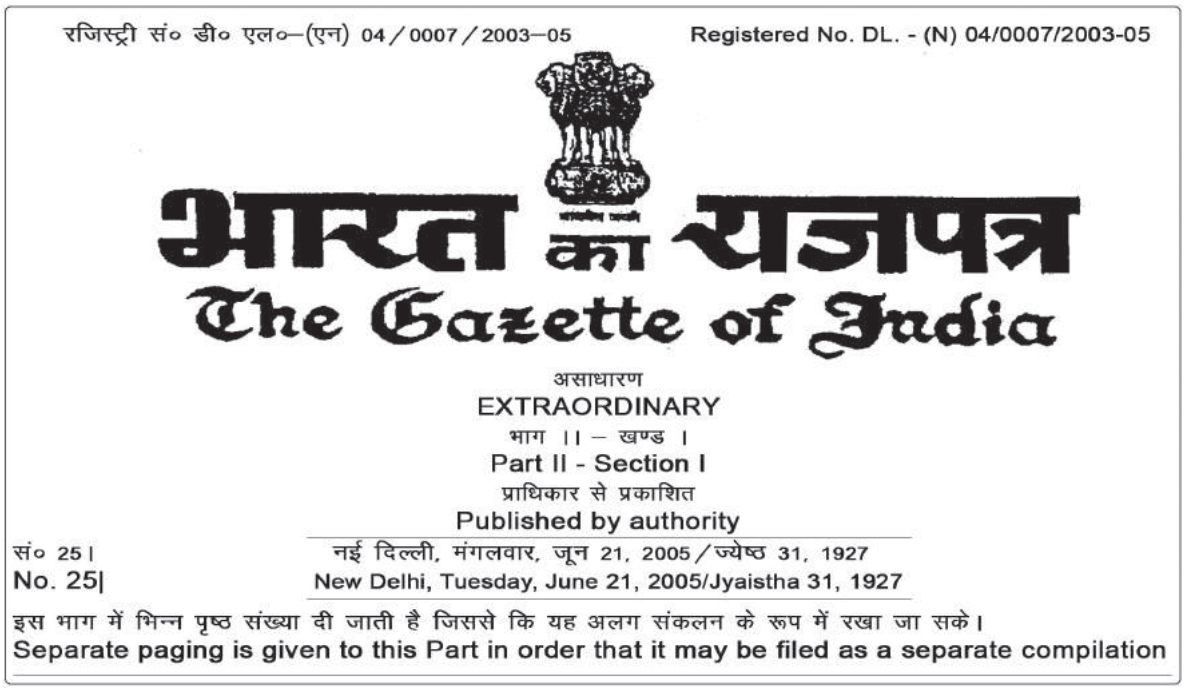

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–(एन) 04/0007/2003–05 Registered No. DL. - (N) 04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

Part II - Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by authority

सं० 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2005/ज्येष्ठ 31, 1927

No. 25] New Delhi, Tuesday, June 21, 2005/Jyaistha 31, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जनसूचना अधिकार के अंतर्गत अपने आवेदन के विषय में जानकारी क्यों नहीं मांगतीं? रमेश ने मालती को बताया सन् 2005 में बने एक कानून के अनुसार हम किसी भी कार्यालय से कोई भी जानकारी एक फार्म भरकर निश्चित राशि जमा करके ले सकते हैं। इस कानून को जनसूचना का अधिकार कहते हैं। मालती ने कहा बेटा मुझे इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है। रमेश ने कहा चाची आप चिन्ता मत कीजिए मैं कल सूचना के अधिकार का प्रपत्र लाऊँगा, उसे भरकर हम आपके राशन कार्ड के विषय में विकासखण्ड कार्यालय से जानकारी माँगेंगे। अगले दिन मालती ने रमेश की सहायता से जनसूचना अधिकार–अधिनियम के अंतर्गत विकासखण्ड कार्यालय में अपने राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी मांगी। लगभग बीस दिन के बाद मालती के घर एक पत्र आया जिसमें बताया गया राशन कार्ड बनकर तैयार है, वह संबंधित अधिकारी से पावती देकर राशन कार्ड ले सकती हैं।

इस तरह सूचना का अधिकार हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। भारत सरकार ने हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन् 2005 में दिया है। केन्द्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया गया है। सूचना के अधिकार के तहत् हम दस्तावेजों व अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं तथा किसी संस्था से अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं इसके अंतर्गत वीडियो कैसेट भी लिया जा सकता है। किसी संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध न करवाए जाने की स्थिति में हम उस राज्य के सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं।

सूचना अधिकार में हमें चाही गई जानकारी 30 दिनों के अंदर और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से जुड़ी हों तो 48 घण्टे के भीतर दिए जाने का प्रावधान है। जिस संस्था से सूचना चाही गई है उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रतिदिन ₹250 रू. या अधिकतम 25,000 रू. तक जुर्माना किया जा सकता है। सूचना के अधिकार से सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता आई है और अब अभिलेखों के रख–रखाव में सावधानी बरती जाती है।

जब सूचना का अधिकार नहीं था तो लोगों को विभिन्न विभागों से जानकारी लेने में किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा होगा? आपस में चर्चा करें।

सूचना का अधिकार आने से विभिन्न विभागों के कार्यों में पारदर्शिता कैसे आई है?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य एवं केन्द्र के सूचना आयुक्त कौन–कौन हैं?

नीचे दिए गए सूचना के अधिकार के प्रपत्र को भरिए–

(सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन का संभावित प्रारूप)

1. आवेदक का नाम – .....
2. पूरा पता – .....
3. दूरभाष संख्या (यदि हो तो) – .....
4. आवेदन देने की दिनांक – .....
5. कार्यालय का नाम – .....
6. क्या चाहते हैं – .....

   (नकल / कार्य निरीक्षण / रिकॉर्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना)
7. आवेदन के साथ जमा किया गया शुल्क ₹ 10 / –

   (नगद / चालान / मनीआर्डर / नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प)
8. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं – हाँ / नहीं
   (यदि हॉ, तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक)

आवेदक के हस्ताक्षर

बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Child Right Protection Commission)

सोमारु एक बड़े होटल में काम करता है। उस होटल का मालिक उससे अत्यधिक काम करवाता था और रोज सोमारु को होटल से 10 बजे रात को छुट्टी मिलती थी। एक दिन एक शिक्षक जब उस होटल के पास से रात में गुजर रहे थे तो उन्होंने सोमारु को होटल से निकलते देखा। शिक्षक ने पूछा कि तुम इतनी रात तक यहाँ क्या कर रहे हो? सोमारु ने बताया वह यहाँ पर काम करता है। शिक्षक ने पूछा– वह यहाँ काम क्यों करता है, स्कूल क्यों नही जाता है? सोमारु ने बताया कि उसके माता–पिता मजदूर हैं और उन्हें काम करने के बाद कम पैसा मिलता है। इससे उनके घर का खर्चा नहीं चलता, इसलिए उसे भी काम करना पड़ता है।

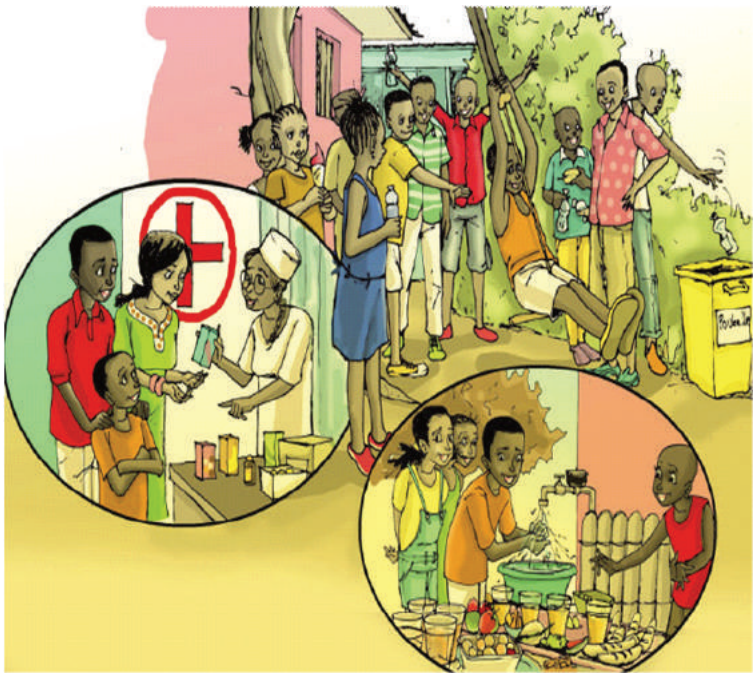

हमारे समाज और पूरी दुनिया में खाने कमाने के साधनों जैसे– जल, जंगल, भूमि, खनिज भण्डार, कारखानों आदि का बंटवारा सही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत अमीर तथा कुछ बहुत गरीब हो गए हैं। गरीब लोगों के पास इतना काम और पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। उनके बच्चे भी पढ़ने के दिनों में सोमारु की तरह काम पर लग जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। 14 वर्ष से

कम आयु के बच्चों के काम करने को ही बाल–श्रम कहते हैं। बाल श्रम के अलावा बच्चों के जीवन से जुड़ी बहुत सी आवश्यकताएँ हैं, जिन्हें पूरा किए बिना बच्चों का विकास नहीं हो सकता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों में बाल अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। विभिन्न देशों के बीच बाल अधिकारों के बारे में होने वाले समझौतों में यह कहा गया है कि युद्ध जैसी संकट वाली स्थितियों में भी बाल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

भारत में भी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बाल अधिकार आयोग बनाए गए हैं। बाल अधिकार आयोग का कार्य बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकना है। यह उल्लंघन चाहे सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा हो या सरकार स्वयं कर रही हो। बाल अधिकार आयोग विशेष रूप से बच्चों पर होने वाली हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्रय–विक्रय तथा उनके श्रम के शोषण जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। बाल अधिकार आयोग समय–समय पर अधिकारों की स्थिति के विषय में प्रतिवेदन जारी करता है और सभी संस्थाओं को आवश्यक दिशा–निर्देश भी देता है।

बाल श्रमिकों से आमतौर पर कौन–कौन से कार्य कराए जाते हैं? सूची बनाइए।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन क्यों किया गया?

पता– छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,

ए–34, सेक्टर – 1, शंकर नगर निगम जोन कार्यालय,

पानी टंकी के पास, रायपुर ।

टोल फ्री 18002330055 फोन 0771–2420095

अधिकारों के बदलते संदर्भ में लोकतंत्र का अधिकारों के साथ संबंध

हमने अधिकारों की चर्चा करते हुए शुरुआत में कहा है कि अधिकार मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की अवधारणा या विचार में बदलाव के साथ बदलते रहते हैं। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जीवन के बहुत से बिन्दु समय–समय पर समाज और मानवीय जीवन में महत्व हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में इसी वजह से अधिकारों के संदर्भ पिछले कई दशकों में बदले हैं। उदाहरण के लिए यूरोप के कई देशों ने खेलों के अधिकार को बच्चों के मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। इसी तरह बहुत से देशों में विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए कुछ खास अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारत में भी विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए पी डब्लू डी अधिकार अधिनियम सन् 1995 को पारित किया गया है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए शिक्षा, नौकरियों तथा पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष व्यवस्था की गई है।

इसी तरह आज से 50 वर्ष पूर्व शायद यह कल्पना करना संभव नहीं था कि बच्चों के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी दुनिया तथा भारत में लगातार बढ़ते हुए बाल–श्रम की वजह से सन् 1986 में भारत में बाल–श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक माने जाने वाले कामों में लगाए जाने से रोकना था। जनसूचना अधिकार अधिनियम सन् 2005 को भी अधिकारों के बदलते संदर्भ और अधिकारों के बढ़ते दायरों के रूप में देखा जा सकता है। आज से 30–40 वर्ष पहले शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी और न ही सोचा होगा कि जन सूचना अधिकार जैसा कोई अधिकार देश के नागरिकों को प्राप्त होगा। इस अधिकार की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई, क्योंकि बहुत से लोगों ने पाया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी उन्हें ठीक ढंग से नहीं मिल पाती जिसके कारण वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। चाहे राजस्थान के लोगों की न्यूनतम मजदूरी की सही दर का मामला हो या किसी ग्राम पंचायत को सरकारी योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि का मामला हो, ऐसे कई मामलों में लोग जानकारी के अभाव में कई लाभों से वंचित रहते थे। अतः धीरे–धीरे यह माँग जोर पकड़ने लगी कि देश के लोगों को सूचना का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह कैसे प्राप्त हुआ, इसे हम कक्षा–10 में पढ़ेंगे।

पिछले कई वर्षों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा कई प्रदेशों में उच्च न्यायालयों ने अलग–अलग मुकदमों में कई

विषयों की व्याख्या मौलिक अधिकारों से जोड़कर की है। न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए हैं, जिनसे कई विषयों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ जोड़कर देखा गया है। न्यायालयों ने माना है कि पीने के स्वच्छ पानी, प्रदूषण रहित वातावरण, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति व शिक्षा जैसे विषयों को जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1992 में मोहिनी जैन व कर्नाटक सरकार के बीच चल रहे मुकदमे मे निर्णय देते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्ति के विषय को जीवन जीने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य अपना जीवन सम्मानजनक ढंग से जी सकता है तथा जीवन में प्रगति कर सकता है। इसी आधार पर संविधान के 86वें संविधान संशोधन (सन् 2002) के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि समाज द्वारा की जाने वाली यदि कोई मांग उचित तथा सार्वजनिक हित में हो, तो संसद तथा न्यायालय उसे कानून द्वारा पारित करके अधिकार के रूप में मान्यता देते हैं।

आज के लोकतांत्रिक दौर में जहाँ प्रत्येक देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहता है, अधिकार नागरिकों के सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शासन के निकायों के अलावा ऐसे बहुत सी सार्वजनिक संस्थाएँ व संगठन बनाए गए हैं जो नागरिकों के अधिकार को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। आज भी दुनिया के कई देशों तथा भारत के अनेक नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। लोगों के जीवन की बदलती एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों के द्वारा नए–नए अधिकारों की मांग की जा रही है। इसी वजह से अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी भी लोग अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे अधिकारों के महत्व को समझें तथा अपने अधिकारों को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। नागरिकों का अधिकारों के लिए **सजग रहना** इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी सरकार निरंकुश व तानाशाह न बन सके।

पता–

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन, ब्लॉक – सी, जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स, आई.एन.ए. नई दिल्ली

फोन न. 011 24651330

अभ्यास

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. सन् ..... में फ्रांसीसी क्रांति हुई।
2. ..... शताब्दी में दास प्रथा प्रारंभ हुई।
3. महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए ..... का गठन किया गया है।
4. संविधान के अनुसार ..... वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल श्रमिक हैं।
5. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ..... लोगों के अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया।
6. वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं .....

2. सही विकल्प चुनिए–

1. हमें शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन में मिला?

   1. 82वें　　2. 84वें
   3. 86वें　　4. 100वें

2. वर्तमान भारत में वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित है –

   1. 16 वर्ष 2. 18 वर्ष

   3. 21 वर्ष 4. 25 वर्ष

3. अश्वेत मूलतः निवासी हैं –

   1. अमेरिका 2. यूरोप

   3. अफ्रीका 4. एशिया

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

1. दास प्रथा किसे कहते हैं?
2. समन का क्या आशय है?
3. मानवाधिकारों का हनन कैसे होता है?
4. अधिकारों का संरक्षण मानव अधिकार आयोग किस प्रकार करता है?
5. अमेरिका में रहने वाले अश्वेत लोगों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ?
6. भारतीय संविधान में कौन–कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किए गए हैं?
7. महिला आयोग कौन–कौन से कार्य करता है?
8. बाल संरक्षण अधिकार आयोग के गठन का क्या उद्धेश्य है?
9. अमेरिका में श्वेतों द्वारा अश्वेतों के साथ भेदभाव किए जाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा?
10. आपके जीवन में सूचना के अधिकार का क्या महत्व है?
11. चर्चा कीजिए कि मौलिक अधिकार का विश्वव्यापी रूप मानवाधिकार है?

Y28GNI

**